(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/2138 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा के प्रकरण कमांक 23/अ–12/2016–17 ।

.....

रूखमणीदेवी पत्नि दिनेश कुमार खण्डेलवाल
निवासी आगर मालवा तहसील व जिला आगर मालबा

..... आवेदिका

विरूद्ध

शुभम खण्डेलवाल पिता संतोष खण्डेलवाल
निवासी छावनी आगर मालवा तहसील व जिला
आगर मालवा म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदिका
श्री वरूण कौशिक, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम छावनी तहसील व जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341/2 मिन 1 रकबा 0.228 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–6–2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन बावत् बने नियमों एवं प्रावधानों का पालन नहीं करते हुये सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि आवेदिका को भी सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है और आवेदक की भूमि सीमांकन में अनावेदक की भूमि में निकाल दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है तथा सीमांकन में संलग्न मानचित्र व फील्डबुक प्रस्तुत की है वे मौके के अनुसार व अभिलेख के अनुसार नहीं होने से और न ही कोई मुख्य बिन्दू सीमांकन के लिये कायम किये गये इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन अवैध होकर शून्य है। उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् अनावेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर टोटल मशीन से सीमांकन किया गया है जो कि पूर्णतः न्यायिक एवं उचित कार्यवाही है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना पत्र आवेदिका को तामील किया गया था तथा सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका के पति द्वारा उपस्थित रहकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी । सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामें के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूखण्ड के एक हिस्से पर आवेदिका के पति का अवैध कब्जा है इसीलिये उन्होंने मात्र आपत्ति के लिये आपत्ति की है क्योंकि फील्डबुक की प्रविष्टि में क्या गलती है, यह नहीं बताया गया है, जबकि सीमांकन में उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा सहमति दर्शाते हुये पंचनामें पर हस्ताक्षर किये है । आवेदिका द्वारा इस निगरानी में जो बिन्दु उठाये गये है वह प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार नहीं है तथा सीमांकन कार्यवाही में असम्बद्ध होकर इस निगरानी में विचार योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर